प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिव मूरत सिंह, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिव मूरत सिंह (दिनांक 03.08.2025 तक 72 वर्ष 08 माह 16 दिन) ग्राम-गौरी, थाना-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। पंचायत के दौरान पैसे के लेन-देन को लेकर दिनांक 24.12.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, लाठी, डण्डे से लैस होकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-150/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 323/149, 148, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-गाजीपुर के आदेश दिनांक 27.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय. इलाहाबाद के आदेश दिनाक 20.05.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत् रखा गया। बंदी द्वारा दिनाक 03.08.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 06 माह. 09 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 08 माह 21 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा बन्दी के द्वारा निर्मम हत्या किये जाने के कारण कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने का अवसर होने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त हो गया है, किन्तु पुनः अपराधिक कृत्य किये जाने की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किये जाने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 03.08.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 06 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 08 माह, 21 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-479/2019) पुत्र श्री शिव मूरत सिंह, निवासी जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-410/2026/2023(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।